



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली/Tel: 022-28294756 / 28294774 फैक्स/Fax: 28291754,
ई-मेल/E-mail : ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Web-site : www.seepz.gov.in



सीपज़-सेज़/न्यूसेज़/331/2011-12

दिनांक 22.11.2019

सार्वजनिक सूचना संख्या 53 /2019

विषय:- मेसर्स अर्शिया लि. एफटीडब्लूजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटों को ब्रॉड बैंडिंग के आइटमों की सूची के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 03.10.2019 की सार्वजनिक सूचना संख्या 52/2019 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछेक स्टैकधारकों द्वारा "प्रतिबंधित" शब्द की व्याख्या को किसी अन्य अधिनियम अथवा विधि के अंतर्गत अनुमति के रूप में शामिल किया जा रहा है।

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 26 के परंतुक 2 के अनुसार "आगे यह उपबंधित किया जाता है कि यदि किसी अन्य विधि के अधीन आयात के लिए कोई अनुमति आवश्यक है, तो वह अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर ही प्रदान की जाएगी"।

अतएव, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 03.10.2019 की सार्वजनिक सूचना संख्या 52/2019 में "प्रतिबंधित आइटमों" के अंतर्गत विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंध तथा डीटीए में निकासी के लिए आवश्यक शर्त का अनुपालन किए जाने वाले आइटम ही शामिल हैं।

किसी प्रकार की गलत व्याख्या से बचने अथवा व्यापार को सुगम बनाने वाले उपयों के अर्थ की सही व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर विकास आयुक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(चन्द्रपाल सिंह चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

प्रति,

सभी यूनिट तथा स्टैकधारक - अर्शिया एफटीडब्लूजेड